(423)

मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 4638/स्थापना/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 02.07.2013

प्रहरी पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 780/625/तीन–जेल/2010 रायपुर, दिनांक 01.07.2011, अधिसूचना क्रमांक एफ 3–4/तीन–जेल/2011 रायपुर दिनांक 20.04.2012, समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2012, समसंख्यक पत्र दिनांक 01.06.2012 एवं दिनांक 19.06.2013 में निहित प्रावधानो के अनुरूप प्रहरी पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जाती है।

इस विज्ञापन द्वारा प्रदेश की जेलों हेतु निम्नलिखित सर्किल (केन्द्रीय जेल, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर तथा दुर्ग) में उनके नाम के समक्ष दर्शित रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक ऐसे उम्मीदवार जो कि भारत के नागरिक हों एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों, से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन में दर्शित पदों की पूर्ति भर्ती केन्द्रों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर की जायेगी।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन–फार्म मय विवरणिका (Prospectus) सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा **रूपये 200/–** तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर **रूपये 150/–** का डिमांड ड्राफ्ट (जो महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ0ग0 रायपुर के नाम पर रायपुर में देय हो) संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग के कार्यालय में दिनांक **16.08.2013 से 30.08.2013 को दोपहर 12.00 बजे तक** जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। अभ्यर्थी मांगे अनुसार सहपत्रों के साथ आवेदन फार्म एवं ओ.एम.आर. फार्म पूर्ण रूप से भरकर कार्यालयीन समय में **दिनांक 31.08.2013 के शाम 4.00 तक** संबधित कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल में जहां से आवेदन–फार्म क्रय किया है वहा व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से जमा करें। पंजीकृत डाक से भेजे गये आवेदन पत्र विलंब से प्राप्त होने के लिये संबधित भर्ती कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगें। आवेदन–फार्म की छायाप्रति अथवा पृथक से कम्प्यूटर या टाईपिंग से निर्मित फार्म स्वीकार नही किये जायेंगे।

आवेदन पत्र जिस भर्ती केन्द्र से प्राप्त किया जायेगा उसी भर्ती केन्द्र में जमा करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के चयन होने पर उसकी नियुक्ति उसी सर्किल के अंतर्गत की जावेगी, जिस सर्किल में उसके द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

सर्किलवार रिक्त पदों की जानकारी

स. क.	सर्किल जेल का नाम जिसके द्वारा सर्किल के अंतर्गत आने वाली जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती की जावेगी.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				योग
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)	
1.	रायपुर सर्किल	प्रहरी	84	19	26	21	150
2.	बिलासपुर सर्किल	प्रहरी	92	36	52	29	209
3.	जगदलपुर सर्किल	प्रहरी	25	5	106	22	158
4.	अंबिकापुर सर्किल	प्रहरी	39	8	83	21	151
5.	दुर्ग सर्किल	प्रहरी	102	21	9	22	154
	योग		**342**	**89**	**276**	**115**	822

टीप :–(i) रिक्त पदों की संख्या में अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्त पदों को देखते हुए वर्गवार पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

(ii) विज्ञापित पदों में नियमानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों 25 प्रतिशत पद नगर सैनिकों एवं 10 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

(iii) जिन अभ्यर्थियों ने होम गार्ड की तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वे ही इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

वेतनमान :–

उपरोक्त विज्ञापित पदों में शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 तथा समय–समय पर मान्य मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते/सुविधायें देय होगी।

शैक्षणिक एवं शारीरिक अर्हताएं :–

भर्ती नियम के अनुसार निर्धारित प्रहरी पद की शैक्षणिक अर्हता 10+ 2 प्रणाली अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अभ्यर्थी की ऊंचाई कम से कम 1.65 मीटर, सीने का माप बिना फुलाये 0.83 मीटर होनी चाहिए।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की ऊंचाई कम से कम 1.58 मीटर, सीने का माप बिना फुलाये 0.78 मीटर होनी चाहिए।

महिला अभ्यार्थियों के लिए कम से कम ऊंचाई 1.55 मीटर होना चाहिये सीने का माप अपेक्षित नहीं।

सभी अभ्यर्थियों की दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए एवं जेल सेवा के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए। अभ्यार्थी को शारीरिक रूप से अपंग नही होना चाहिए।

नियम व शर्तें :–

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

(2) आयु सीमा/आयु सीमा में छूटें :–

(क) दिनांक 01.01.2014 को आधार मानकर अभ्यार्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु–सीमा शिथिलनीय होगी।

अर्थात

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्य भारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गयी हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

(ड) भूतपूर्व सैनिकों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट 03 वर्ष।

(च) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु–सीमा 02 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को, अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(झ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(त) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु–सीमा 08 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(थ) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे–छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) रोजगार कार्यालय में आवेदक का विज्ञापन तिथि के पूर्व का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(4) अभ्यार्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।

(5) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबधित अभ्यर्थियों को चयन की दशा में उच्च स्तरीय छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थाई जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

(6) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(7) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का निवास एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र (छानबीन) एवं रोजगार कार्यालय को जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

(8) जिन अभ्यर्थियों के पास मोटर वाहन का हैवी लायसेंस, एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल–कूद में प्रवीणता प्रमाण पत्र हो तो अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(9) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यार्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रेणित (carry forward) नहीं किये जाएगें, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।

(10) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(11) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

"परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान हैं तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो अधिक संतान जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा"।

(12) आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो लगाना होगा।

(13) भर्ती प्रकिया में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों को किये गये यात्रा हेतु भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

(14) चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(15) अभ्यर्थी की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास समिति द्वारा अभ्यर्थी को चयन करने के लिये अनर्हकारी ठहरा देगा।

(16) शारीरिक मापदण्ड के लिए बुलाये गये अभ्यर्थी को आवेदन पत्र खरीदने पर भर्ती केन्द्र से प्रदाय मूल रसीद अपने साथ में लेकर आना अनिवार्य होगा।

(17) अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिए निरस्त कर दिया जावेगा।

(18) मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं अभ्यर्थी का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है अथवा दी गई हो तो इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(19) आवेदन–पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का उल्लेख अवश्य किया जावे।

(20) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(21) भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

(22) आवेदन पत्र की जांच पश्चात् अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अर्ह अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा।

प्रहरी पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया

आवेदन पत्र :- छत्तीसगढ़ अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 2009 के अनुसार प्रहरी हेतु निर्धारित आयु, शैक्षणिक एवं शारीरिक अर्हताओं के आधार पर प्रहरी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।

भर्ती केन्द्र एवं आवेदन पत्र विकय/जमा करने का स्थान :-

भर्ती केन्द्र का स्थान	आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा करने का स्थान
रायपुर	केन्द्रीय जेल रायपुर मे
बिलासपुर	केन्द्रीय जेल बिलासपुर मे
जगदलपुर	केन्द्रीय जेल जगदलपुर मे
अंबिकापुर	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में
दुर्ग	केन्द्रीय जेल दुग में

चयन समिति :- छत्तीसगढ़ अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 2009 में विहित अनुसार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा गठित की जावेगी।

आवेदन पत्र की जांच :- आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र की जांच एवं छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदको की वर्गवार सूचियाँ तैयार की जावेगी।

परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

चयन प्रकिया :- अभ्यार्थियों को, जो कि छ.ग. अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भरती नियम, 2009 के नियमों एवं शासन द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन में चयन हेतु पात्रता रखते हों तथा शासन के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उनकी न्यूनतम एवं अधिकतम आयु शारीरिक मापदण्डों एवं दृष्टि संबंधी तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने संबंधी अर्हताओं को पूरी करते हों, निम्नलिखित चयन प्रक्रिया में से गुजरना होगा :-

(क) शारीरिक माप का मान - प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख भर्ती नियम के अनुसार किया जावेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा – शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल 100 अंको का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होगी। सभी प्रतिस्पर्धाओं की वीडियोग्राफी करायी जायेगी :–

(अ) लम्बी कूद — 25 अंक
(ब) गोला फेंक — 25 अंक
(स) 01 मील दौड़(पुरुष) एवं 800 मीटर दौड़(महिला) — 25 अंक
(द) पुल–अप — 25 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

अनुसूची

अनु. क्र.	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी	अंक	मद (आयटम) महिला अभ्यर्थी	अंक
1.	लम्बी कूद	25	लम्बी कूद	25
	03 मीटर 75 सेमी. से कम	00	02 मीटर 50 सेमी. से कम	00
	03 मीटर 75 सेमी. तक	05	02 मीटर 50 सेमी. तक	05
	04 मीटर तक	10	02 मीटर 75 सेमी. तक	10
	04 मीटर 50 सेमी. तक	15	03 मीटर 25 सेमी. तक	15
	05 मीटर तक	20	03 मीटर 75 सेमी. तक	20
	05 मीटर 50 सेमी. या अधिक	25	04 मीटर 25 सेमी. या अधिक	25
2.	गोला फेंक (वजन 16 पाउन्ड)	25	गोला फेंक (वजन 08 पाउन्ड)	25
	05 मीटर से कम	00	04 मीटर से कम	00
	05 मीटर तक	05	04 मीटर तक	05
	06 मीटर तक	10	05 मीटर तक	10
	07 मीटर तक	15	06 मीटर तक	15
	08 मीटर तक	20	07 मीटर तक	20
	09 मीटर तक	25	08 मीटर तक	25
3.	01 मील दौड़	25	800 मीटर दौड़	25
	5.30 मिनट या उससे कम	25	3.00 मिनट या उससे कम	25
	5.31 मिनट से 6.00 तक	20	3.01 मिनट से 3.30 तक	20
	6.01 मिनट से 6.30 तक	15	3.31 मिनट से 3.59 तक	15
	6.31 मिनट से 7.00 तक	10	4.00 मिनट से 4.30 तक	10
	7.01 मिनट से 7.30 तक	05	4.31 मिनट से 4.59 तक	05
			5.00 के बाद	00

4.	पुल अप	25	पुल अप	25
	10 या उससे अधिक	25	8 या उससे अधिक	25
	9	20	7	20
	8	15	6	15
	7	10	5	10
	6	05	4	05

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जावेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नही कराई जावेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तदनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा – शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर विज्ञापित पदों के 15 गुना लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंको की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित (कक्षा आठवीं स्तर) के प्रश्न पूछे जावेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परीक्षा के आयोजन हेतु समय सारणी :– मूल प्रमाण पत्रों की छानबीन एवं शारीरिक माप तौल, शारीरिक दक्षता परीक्षा (लम्बी कूद, गोला फेंक, दौड़ एवं पुल–अप) एवं लिखित परीक्षा हेतु समय सारिणी :–

क.	अवधि	वर्गवार
1.	दिनांक 02.09.2013 से 08.09.2013 तक	अनारक्षित वर्ग
2.	दिनांक 09.09.2013 से 15.09.2013 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
3.	दिनांक 16.09.2013 से 20.09.2013 तक	अनुसूचित जाति
4.	दिनांक 21.09.2013 से 26.09.2013 तक	अनुसूचित जन जाति
5.	दिनांक 27.09.2013 से 30.09.2013 तक	सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों का
6.	दिनांक 06 अक्टूबर 2013	सभी वर्ग की लिखित परीक्षा

बोनस अंक :– अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 अंक निर्धारित है, किन्तु विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे, अर्थात दो से अधिक विशेष योग्यता होने पर भी बोनस अंक 10 ही होंगे :–

(अ) मोटर वाहन का हैवी लायसेंसधारी।

(ब) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता, केवल वे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी।

(स) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र धारी।

चयन सूची :– शारीरिक प्रवीणता टेस्ट–100, लिखित परीक्षा–100, बोनस अंक–10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, लिखित परीक्षा एवं बोनस अंकों में प्राप्त प्राप्तांको के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची बनाई जावेगी। नियुक्तियां पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) से की जावेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं बोनस अंकों के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची (मेरिट सूची) में अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सह–वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा। यदि जन्मतिथि एवं प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र के पंजीयन के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

नियुक्तिः– प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जायेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाये जाने पर ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु अभ्यर्थी का "मेडिकल फिट" (Medically Fit) होना भी अनिवार्य होगा। इस हेतु मेडिकल परीक्षा भी कराया जावेगा।

परिवीक्षाः– प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शासन के हित में तीन वर्ष के लिये एक ~~ब्रा~~-बॉण्ड निष्पादित करना होगा। चयनित अभ्यर्थी के उक्त अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उक्त अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण पर हुए सम्पूर्ण व्यय शामिल होगा, की वापिसी के लिये उत्तरदायी रहेगा।

प्रशिक्षण :– प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जावेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण नियुक्ति के पश्चात दिया जावेगा।

2.7.13

(गिरिधारी नायक)
महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़ रायपुर

मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 5125/स्थापना/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 17.07.2013

संशोधन विज्ञापन सूचना

मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के विज्ञापन कमांक 4638/स्थापना/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 02.07.2013 द्वारा प्रहरी पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, उसमे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

01. पूर्व में आवेदन फार्म विकय की तिथि 16.08.2013 से 30.08.2013 तक एवं जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2013 थी, उसके स्थान पर अब आवेदन फार्म विकय की तिथि 04.09.2013 से 16.09.2013 तक एवं जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.09.2013 से 23.09.2013 तक संशोधित किया जाता है।

02. शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरूष वर्ग के लिए 01 मील दौड़ के स्थान पर 1600 मीटर दौड़ संशोधित किया जाता है।

03. शारीरिक दक्षता एंव लिखित परीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों के स्थान पर निम्नानुसार तिथियां संशोधित किया जाता है :–

    (1) मूल प्रमाण–पत्रों की छानबीन, शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 30.09.2013 से 21.10.2013 तक किया जायेगा।

    (2) दिनांक 27.10.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

टीप :– शेष नियम व शर्तें पूर्व विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेगी।

17.7.13

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़ रायपुर

मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 6298/स्थापना/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 27.08.2013

विज्ञापन संशोधन सूचना

मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के विज्ञापन कमांक 4638/स्थापना/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 02.07.2013 में उल्लेखित की गई तिथियों में विज्ञापन संशोधन सूचना कमांक 5125/स्थापना/जे.मु./2013 रायपुर, दिनांक 17.07.2013 द्वारा प्रहरी पद पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित तिथियां सूचित की गई थी, उक्त तिथियों में निम्नानुसार पुनः संशोधन किया जाता है :-

01. आवेदन फार्म विकय की तिथि 04.09.2013 से 16.09.2013 तक एवं जमा करने की अंतिम तिथि 23.09.2013 संशोधित की गई थी, उसके स्थान पर **अब आवेदन फार्म विकय की तिथि 16.09.2013 से 28.09.2013 तक एवं जमा करने की अंतिम तिथि 16.09.2013 से 30.09.2013 तक** संशोधित की जाती है।
02. शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा हेतु पूर्व संशोधित तिथियों के स्थान पर निम्नानुसार तिथियां संशोधित की जाती है :-
    (1) मूल प्रमाण-पत्रों की छानबीन, शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक **25.11.2013 से 17.12.2013** तक किया जायेगा।
    (2) दिनांक **12.01.2014** को लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

टीप :- शेष नियम व शर्तें पूर्व विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेगी।

27.8.13

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़ रायपुर